

भारत सरकार खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट् -विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 <u>मेल- ro.raipur@ibm.gov.in</u>

No- CHG/DRG/LST-35/NGP

दिनांक -06/01/2022

प्रेषिति-

एजेन्ट वंदिनी चूनापत्थर खदान,

सर्वश्री **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया** लिमिटेड

पोस्ट- नंदिनीएतहसील-धमधाए

जिला-दुर्ग(छ.ग.).490036

विषय-

छतीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले मे स्थित आपकी नंदिनी चूना खान (Area 526.34 Ha.) . मे खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमो के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 01.12.2021 by undersigned accompanied by Shri pankaj Kumar, Mine Manager

Tamai,	imar, Mine Manager		
Rule	Nature of Violation observed		
	The Modified Mining Plan was approved vide letter no. दुर्ग/ चूप /खयो-1058/2016-रायपुर dated 26.12.2016 and following deviation were observed during inspection 1. The quantity of ROM mineral production, OB & Reject proposed1004956T tons, 204680 tons & 200991tons respectively in 2020-21 but actual achievement is only 282138 tons, 176552 tons & 69418 tons which is on very lower side. 2. The development is proposed in three faces but actual working is done in two face with devistion.		
11(1)	Proposals BFQ (SW) 541989 E TO 541589E 2362849N TO 2362967N BFQ (NW) 541942E TO 541608E, 2363778N TO 2363480 N BSQ (N-E) 542654 E TO 542628 E, 2364082N TO 2363819N 3. The afforestation is not done as per proposals an	d achievement is only 100 nos in 0.01 ha.	
	area against the proposal given 5625 nos given in 2.25 ha. Area. As per the annual return submitted for the period 2020-21 it was mentioned that cos		
45(5)©	production is Rs 974.82/- and Ex-mine price is given 1110.93 which is not correct for captive		
	use.		

- ² इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंड्नीय अपराध है1 एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवम 45(7)(क) के अंतर्गत
 - ((क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या प्ररूप च1,च2,च3 में मासिक बिबरनी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा।
 - (ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 - (ग) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
 - (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंधनो Rule 11(1)का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे1
 - 4 अतःआपको यह भी निर्देष दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 45(5)(c) का अतिषीघ्र सुधार करें एवं सके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1
- खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया 2 रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर